डीजी परिपत्र संख्या - 39 /2016

जावीद अहमद
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः जुलाई 14 ,2016

प्रिय महोदय,

मैं आपका ध्यान माननीय सांसदों, विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्टाचार एवं उनके माध्यम से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन एवं इस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत पार्श्वांकित आदेशों/परिपत्रों की ओर आकर्षित कराना चाहूँगा। इन सभी परिपत्रों में जनप्रतिनिधियों के प्रति शिष्ट व्यवहार एवं उनके माध्यम से प्राप्त पत्रों/शिकायती पत्रों पर शीर्ष कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से माननीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

शासनादेश संख्या-1727/सात-स-1-2005-70सं/1984 दिनांक 15.7.2005
शासनादेश संख्या-2452/सात-स-1-2006-70सं/2008 दिनांक 2.11.2008
शासनादेश संख्या-545/90-स-1-2011-38सं/2011 दिनांक 11.5.2011
शासनादेश संख्या-602/90-स-1-2011-43सं/2011 दिनांक 25.5.2011
शासनादेश संख्या-1/1173/90-स-1-2014-70सं/1984 दिनांक 25.8.2014
शासनादेश संख्या-1117/90-स-1-2015-70सं/1984 दिनांक 15.10.2015
परिपत्र संख्याः डीजी परिपत्र-42/2005 दिनांक 10.8.2005
परिपत्र संख्याः डीजी परिपत्र-42/2009 दिनांक 20.8.2009
परिपत्र संख्याः डीजी परिपत्र-47/2009 दिनांक 25.8.2009
परिपत्र संख्याः डीजी परिपत्र-17/2011 दिनांक 22.7.20011

2. विदित है कि जनप्रतिनिधि प्रायः अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं के समाधान हेतु पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के पास आते हैं। जन समस्याओं से सम्बन्धित प्रकरणों का निराकरण कराना शासन की भी प्राथमिकता में हैं। अतः यह आवश्यक है कि जनप्रतिनिधियों के आगमन पर शासन की अपेक्षानुसार उनसे शिष्ट व्यवहार किया जाये और यदि उनके द्वारा कोई प्रकरण/जन समस्या आपके संज्ञान में लाया जाये तो उन पर त्वरित गति से नियमानुसार कार्यवाही कर उनका निराकरण कराया जाये। इस हेतु आपसे पुनः निम्न अपेक्षा की जाती है:-

(I) प्रत्येक जनपद में माननीय सांसदों, माननीय विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधयों से प्राप्त होने वाले पत्रों एवं शिकायती-पत्रों की प्राप्ति तथा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अलग से एक रजिस्टर बनाया जाये, जिससे माननीय जनप्रतिनिधि का नाम, शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होने की तिथि , कृत कार्यवाही का विवरण एवं माननीय जनप्रतिनिधि को कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना दिये जाने की तिथि अंकित की जाये।

(II) उपरोक्त सूचनाओं का जनवरी 2016 से कम्प्यूटरीकरण कराया जाये एवं रजिस्टर के साथ-साथ सूचनाओं को कम्प्यूटर में भी रखा जाये।

(III) प्रत्येक माह में आयोजित होने वाली अपराध गोष्ठी मे माननीय सांसदों, मा0 विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण तथा उसमें की गयी कार्यवाही की नियमित समीक्षा की जाये।

(IV) जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जब भी जनपदों का भ्रमण करें तो माननीय सांसदों, माननीय विधायकों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की भी समीक्षा करें।

(V) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा इस दिशा में सार्थक रूचि नही ली जा रही हो अथवा शिकायती प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा हो, उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करायी जाये।

भवदीय

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद/रेलवेज
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
2 अपर पुलिस महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ उ0प्र0 लखनऊ।
3 अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0 लखनऊ।
4 अपर पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार उ0प्र0 लखनऊ।
5 समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
6 समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।